भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3635
दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनजातीय क्षेत्रों में नल का पानी

3635. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मिशन के तहत जिन पिछड़े गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है उनका ब्यौरा क्या है;
(ग) उन गांवों और जनजातीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक 'नल से जल' योजना लागू नहीं की गई है;
(घ) क्या यह सच है कि तकनीकी कारणों से उक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहती है; और
(ङ) यदि हां, तो विशेषकर गुवाहाटी, असम में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके। इस मिशन का कुल अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रमुख विशेषताओं में निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करना शामिल है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों के राज्य-वार

ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। इस प्रकार, पिछड़े हुए गांवों को प्रदान किए गए नल कनेक्शनों के ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग): जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक अवधारणा का अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रकार, जेजेएम का क्रियान्वयन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों में किया जा रहा है।

(घ) और (ङ): जल राज्य का विषय है और इसलिए परिवारों को नल जल प्रदान करने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना तथा क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति में बाधाओं का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****

अनुबंध

दिनांक 10/08/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3635 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसटी बहुल क्षेत्रों में कुल परिवार (7 अगस्त 2023 तक)	एसटी बहुल क्षेत्रों में परिवारों को प्रदान किए गए नल कनेक्शन			एसटी बहुल क्षेत्रों में जिन परिवारों को अभी तक नल कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं	
			2020-21	2021-22	2022-23	संख्या में	% में
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	5.45	1.17	0.79	0.57	2.04	37.38
3	अरुणाचल प्रदेश	1.98	0.57	0.35	0.27	0.25	12.53
4	असम	10.26	0.50	2.08	1.08	5.89	57.36
5	बिहार	1.24	0.83	0.20	0.03	0.02	1.72
6	छत्तीसगढ़	21.29	0.32	1.70	4.10	11.13	52.29
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.35	0.14	0.21	0.00	0.00	0.00
8	गोवा	0.21	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गुजरात	20.34	2.53	4.64	2.62	0.00	0.00
10	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	0.82	0.22	0.21	0.00	0.00	0.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	2.58	0.33	0.09	0.03	0.89	34.40
13	झारखंड	21.81	1.16	1.77	3.43	12.47	57.20
14	कर्नाटक	5.19	0.15	0.67	1.32	1.72	33.07
15	केरल	0.42	0.01	0.01	0.01	0.26	63.25
16	लद्दाख	0.42	0.02	0.09	0.17	0.08	19.59
17	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	98.38
18	मध्य प्रदेश	31.02	4.49	3.08	2.41	16.54	53.32
19	महाराष्ट्र	17.39	3.25	1.53	0.83	7.79	44.83
20	मणिपुर	2.28	0.94	0.36	0.29	0.51	22.50
21	मेघालय	6.15	0.83	1.23	0.78	2.73	44.39
22	मिजोरम	1.33	0.34	0.21	0.30	0.12	8.69
23	नागालैंड	3.67	0.48	0.93	0.86	0.88	23.99
24	ओडिशा	23.89	3.48	4.29	3.72	10.29	43.06
25	राजस्थान	17.27	0.34	0.52	1.51	13.89	80.43
26	सिक्किम	0.55	0.05	0.04	0.07	0.06	11.73
27	तमिलनाडु	1.67	0.18	0.21	0.50	0.51	30.31
28	तेलंगाना	7.07	2.99	0.00	0.01	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	2.95	0.49	0.67	0.32	1.10	37.29
30	उत्तर प्रदेश	1.05	0.04	0.00	0.43	0.39	37.20
31	उत्तराखंड	0.50	0.19	0.11	0.06	0.09	17.53
32	पश्चिम बंगाल	7.75	0.55	1.04	0.72	5.25	67.72
कुल		**217.09**	**26.69**	**27.02**	**26.42**	**95.03**	**43.77**